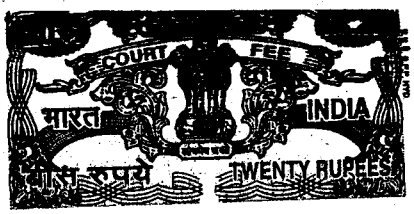

1

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र.क्र. /2017 निगरानी R 689-I-17

श्री विनोद श्रीवास्तव एड. द्वारा आज दि. 20-2-2017 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 20/2/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मनवीरसिंह पुत्र श्री जगवीरसिंह जाति यादव
निवासी छकू का पुरा (अकोड़ा) तहसील व
जिला भिण्ड (म.प्र.)।

------ आवेदक

बनाम

म.प्र.शासन ------- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान अपर-आयुक्त
महोदय चम्बल संभाग के प्र.क्र.315/15-16 अपील
आदेश दिनांक 17-11-16

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेपमें निम्नप्रकार है -

1- यहकि आवेदक मनवीरसिंह पुत्र जगवीरसिंह निवासी छकू का पुरा अकोडा के द्वारा सी.आर.पी.एफ. में पदस्थ होने से अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड में ग्राम अकोडा की भूमि सर्वेक्रमांक 1066 के वंटन हेतु आवेदन कमाडेन्ट 66 वी बटालियन सी.आर.पी.एफ. के पत्र दिनांक 6-12-2007 के साथ प्रस्तुतकियागया जो प्र.क्र.1/14-15अ/19 पर पारित किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 689–एक/2017 जिला भिण्ड

मनवीर विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–4–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 315/2015–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 17–11–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि शासकीय तालाब एवं नगर पंचायत स्थित भूमि का बंटत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया कि शासन निर्देशानुसार तालाब की भूमि किसी को बंटन नहीं की जा सकती। अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश को कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से निगरानी ग्राह्यता के स्तर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	